

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी, जिला (डीडवाना-कुचामन) राज.
पीठासीन अधिकारी :- मनोज, (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 40/2023 (GCMS 2023/82)

प्रार्थीगण

1. सरोज कुमारी रायल पत्नि शिवभगवान जाट निवासी ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राज.
2. बलदेवाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी हनुमानपुरा, मंगरासी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राज.
3. शिवभगवान पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.
4. सरलादेवी पत्नी बलदेवाराम जाति जाट निवासी हनुमानपुरा, मंगरासी, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अज्योध्या पत्नि भंवरलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
2. कन्हैयालाल पुत्र लादूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
3. किशनलाल पुत्र लादूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
4. गोदावरी पत्नि जालूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
5. गोपाल पुत्र जालूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
6. जगदीश पुत्र लादूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
7. नन्दलाल पुत्र लादूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
8. बाबुलाल पुत्र भंवरलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
9. रमेश पुत्र भंवरलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
10. राधेश्याम पुत्र जालूराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी दौलतपुरा तह. कुचामनसिटी
11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अड़कसर
12. उप पंजीयक कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
13. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

प्रार्थना-पत्र रास्ता दिलवाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 (A) राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित - श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक :- 16-10-2023

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का अड़कसर तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 371/77 रकबा 4.1064 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की सह-खातेदारी की दर्ज चली आ रही है, उक्त खसरा नम्बर की भूमि में आने-जाने के लिये मुख्य मार्ग से कोई भी रास्ता नहीं है, आपसी सुविधानुसार ही आना जाना होता है, खसरा नम्बर 371/77 की भूमि में आने



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)




जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ऐसे ही खसरा नम्बर 80 व खसरा नम्बर 79 की भूमि से मुख्य सड़क तक आपसी सुविधानुसार आना-जाना करते हैं, प्रार्थीगण कि भूमि से मुख्य सड़क से नजदीक खसरा नम्बर 80 व 79 ही लगता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना-पत्र में वर्णित किया गया है, खसरा नम्बर 80 व 79 में नक्शे में वर्णित अनुसार A से B 6 मीटर चौड़ा आने-जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है, जिससे प्रार्थीगण अपने खेत व भूमि तक आने-जाने कि सुविधा हो सके, ट्रैक्टर, गाड़ी मवेशियान आदि लाने ले जाने में कोई असुविधा नहीं हो इसलिए रास्ते कि आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा नम्बर 371/77 कि भूमि में आने-जाने के लिए खसरा नम्बर 79 व 80 के पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार 6 मीटर चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाने कि आवश्यकता है, इसके अलावा प्रार्थीगण कि भूमि में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए रास्ते का प्रार्थना-पत्र लाना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 371/77 में आने जाने के लिए सरकारी रास्ते से लगते हुए खसरा नम्बर 79 व 80 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 6 मीटर चौड़ाई का गै.मु.रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसका जो भी सरकारी डी.एल.सी. मुआवजा नियमानुसार बनात है प्रार्थीगण जमा कराने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम दौलतपुरा पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामन की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 371/77 भूमि में आने-जाने के लिए खसरा नम्बर 80 व 79 के पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 6 मीटर चौड़ाई का गै.मु.रास्ता कायम कर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें, सरकारी डी. एल.सी. दर से जो मुआवजा राशि बनती है प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. कराई गई। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. कराकर रसीद सहित Track Consignment की प्रति साथ में प्रस्तुत की। जिसके अनुसार संबंधित को Item Delivered बताया है। जिससे तामील मानी जाकर आवाजे लगाई गई। बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2023/509 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा चालू जमाबंदी नकल सम्बत 2074-2077 ग्राम दौलतपुरा पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खाता सं. 150, 2 की नकल प्रस्तुत की है, नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की है।

तहसीलदार कचामनसिटी की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 अनुसार ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 371/77 रकबा 4.1064 हैक्टर भूमि सरोज कुमारी रायल पत्नि




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

शिवभगवान, बलदेवाराम पुत्र लिखमाराम, शिवभगवान पुत्र गणपतराम, सरलादेवी पत्नि बलदेवाराम की खातेदारी में दर्ज है, खसरा नम्बर 371/77 में आने-जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं लगता है, खसरा नम्बर 371/77 के नजदीकी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 64 लगता है, जिसके मध्य से सबसे नजदीक दूरी पर खसरा नम्बर 79 व 80 की भूमि लगती है, खसरा नम्बर 79, 80 अज्योध्या देवी पत्नि भंवरलाल, कन्हैयालाल पुत्र लादूराम, किशनलाल पुत्र लादूराम, गोदावरी पत्नि जालूराम, गोपाल पुत्र जालूराम, जगदीश पुत्र लादूराम, नन्दलाल पुत्र लादूराम, बाबूलाल पुत्र भंवरलाल, रमेश पुत्र भंवरलाल व राधेश्याम पुत्र जालूराम के नाम दर्ज है, जिसका नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण ने बिन्दू सं. A से B तक 6 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा है, मौके पर खसरा नम्बर 80 रकबा 0.12 हैक्टर में से 38 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई = 228 वर्ग मीटर तथा खसरा नम्बर 79 रकबा 3.46 हैक्टर में से 100 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई = 600 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित बताई है।

उभय पक्ष वकील प्रार्थी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित मांग अनुसार एवं फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 में अंकित A से B बिन्दू से खसरा नम्बर 80 में से 38 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई = 228 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 79 में से 100 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई = 600 वर्ग मीटर कुल लम्बाई 828 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0828 हैक्टर का रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा बहस पर अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 371/77 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 79 व 80 में से रास्ता चाहा गया है, जिसके लिये मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों अनुसार अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा किये गये कथन बहस अनुसार खसरा नम्बर 371/77 में से आने जाने एवं वर्षों से रास्ते के उपयोग के तथ्य उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्द मौका अनुसार साबित होते हैं। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 में दर्शित रास्ता A से B खसरा नम्बर 80 में से 38 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई = 228 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 79 में से 100 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई = 600 वर्ग मीटर कुल लम्बाई = 828 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0828 हैक्टर का रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ग्राम दौलतपुरा पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 371/77 अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने व मवेशी, गाड़ी, छकड़ा, ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 में दर्शित रास्ता A से B नम्बर 80 में से 38 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई = 228 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 79 में से 100 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

चौड़ाई = 600 वर्ग मीटर कुल = 828 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0828 हैक्टर जो नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाई गई है, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुंचने तक सही रहेगा। जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से होती है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को आदेश दिये जाते हैं। कि वह आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में सरकारी रास्ता दर्ज कर पालना करे।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दौलतपुरा पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 371/77 रकबा 4.1064 हैक्टर में आने-जाने व मवेशी, गाड़ी, छकड़ा व ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु ग्राम दौलतपुरा पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 80 व 79 में से दर्शित रास्ता A से B पश्चिमी सीव के सहारे-सहारे खसरा नम्बर 80 में से लम्बाई 38 मीटर X चौड़ाई 6 मीटर = 228 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 79 में से लम्बाई 100 मीटर X चौड़ाई 6 मीटर = 600 वर्ग मीटर कुल = 828 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0828 हैक्टर भूमि मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 में अंकित अनुसार राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी/ नायब तहसीलदार चितावा को आदेशित किया जाता है कि वें उक्त रास्ते की एवज में प्रार्थीगण से नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डी. एल.सी. दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करें एवं उक्त राशि को अप्रार्थीगण 1 से 10 को उनके हक-हिस्से की कम हुई भूमि के एवज में अदा करे। मौका रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी/ नायब तहसीलदार चितावा को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 16/10/2023 को सरे इजलास सुनाय गया।




(मनोज, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागार)
कुचामन सिटी (नागार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी, जिला (डीडवाना-कुचामन) राज.
क्रमांक / कोर्ट / 2023 / 227.228 दिनांक :- 16.10.2023

प्रेषित :- 1. तहसीलदार कुचामनसिटी
2. नायब तहसीलदार चितावा

विषय :- राजस्व प्रार्थना-पत्र सं. 40/2023 GCMS No. 2023/82 सरोज कुमारी
बनाम अज्योध्या वगैरह रास्ता दिलाने बाबत में पारित आदेश की
पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व
राजस्व प्रार्थना-पत्र सं. 40/2023 GCMS No. 2023/82 सरोज कुमारी बनाम
अज्योध्या वगैरह रास्ता दिलाने बाबत में आदेश पारित किया गया है। जिसकी
छाया प्रति भिजवाई जा रही है। माफिक आदेश पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
संलग्न :- आदेश की प्रति


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (अधिकारी कुचामन)
कुचामन सिटी (नागौर)